# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी अबुला सांईकृष्ण, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 134 / 2021 वाद

GCMS No. 20214/281

होमाराम खराडी पिता स्व. श्री खेमा जी, निवासी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. फौजा पिता रूपा भील मृतक के बजाय :–
   1/1 प्रकाश पुत्र फोजा निवारी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   1/2 मुकेश पुत्र फोजा निवासी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   1/3 निलकी पुत्री फोजा निवासी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   1/4 मोवनी पुत्री फोजा निवासी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
   1/5 मगुडी पत्नि फोजा निवासी कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
2. सेमली पिता खेमा भील
   सर्व निवासीयान कात्या फला, अलसीगढ़, तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

.......प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री चेतनप्रकाश पालीवाल

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

## निर्णय

दिनांक : 11.5.2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम अलसीगढ, पटवार मण्डल अलसीगढ, तहसील गिर्वा, उदयपुर के खाता संख्या नया 72 पुराना 58 आराजीयात आ0स0 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 कुल किता 7 कुल रकबा 2.1000 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के पिता खेमा पिता रूपा भील (खराडीवाला) के नाम पर दर्ज हैं। वादी के पिता खेमा जी भील का दिनांक 05.05.2010 को स्वर्गवास हो गया है तथा वादी की

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

माता नानी बाई का भी स्वर्गवास हो गया है और वादी व उसका भाई गणेश दोनों उक्त आराजीयात पर वारिसाना हक से मालिक व काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। वादी के पिता खेमा जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजीयात विरासत से वादी व उसके भाई गणेश के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन उक्त भूमि गलत रूप से विरासत के आधार पर नामान्तरण संख्या 1178 के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 खेमा व प्रतिवादी सं0 2 सोमली नाम के जिन व्यक्तियों के नाम पर नामान्तरण संख्या 1176 विरासत के आधार पर खोला गया हैं इन लोगों से वादी के पिता स्वर्गीय खेमा जी का कोई सरोकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 न तो वादी के स्वर्गीय पिता खेमा जी के पुत्र व पुत्री हैं न ही इनसे वादी के पिता खेमा जी का कोई रिश्ता हैं। इसके बावजुद गलत रूप से इनके नाम पर नामान्तरण खोलते हुए उक्त जमीन को इनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया हैं जो कार्यवाही वादी के हक व अधिकारों के विपरीत होकर वादी उक्त जमीन को अपने व अपने भाई गणेश के नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी हैं। वादी के गांव में खेमा पिता रूपा नाम का अन्य व्यक्ति और था जिसकी खातेदारी की जमीन अलग थी जिनसे वादी के परिवार का कोई सरोकार नहीं हैं। उक्त दूसरे खेमा के पुत्र व पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है जिनके द्वारा गलत रूप से कलम सं0 1 में वर्णित जमीन को भी अपनी अन्य जमीन के साथ स्वयं के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित करा लिया है जो कार्यवाही गलत व अवैध होकर वादी के हक व अधिकरों के विपरीत हैं। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नहीं रहा है उक्त जमीन पर वादी व उसका भाई गणेश ही अपने पिता की मृत्यु के बाद से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं। वादी के उक्त जमीन पर कच्चे मकान व मवेशी बान्धने के बाडे बने हुए हैं। प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर उक्त जमीन गलत रूप से दर्ज कर दिए जाने का फायदा उठाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 उक्त जमीन को आगे अन्य को रहन, बैह, बक्षिस व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं। यदि प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि अन्य को विक्रय कर दी गई तो वादी व उसका भाई गणेश अपनी भूमि से हमेशा लिए वंचित हो जायेंगे। वाद कारण दिनांक 10.08.2021 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादी की भूमि कुछ लोगों को मौके पर लोकर दिखाई जा रही थी जिस पर वादी द्वारा आपत्ति की गई तो प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उक्त भूमि अपने खाते में दर्ज होने का कथन करने पर वादी द्वारा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

रेकार्ड निकलवाने पर वादी को उनकी जमीन प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई। जिसकी आपत्ति वादी द्वारा करने व जमीन वापस अपने नाम पर दर्ज करवाने का कथन करने पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमदा हो गए है एवं जमीन बेचने की धमकी दे रहे हैं।

अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि का वादी व उसके भाई गणेश को संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके जवाब अवसर बंद किए गए। वादी द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर दस्तावेज प्रदर्शित कराये गए। प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके साक्ष्य वादी जिरह तथा साक्ष्य प्रतिवादी के अवसर बंद किए गए। वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादवर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र स्वीकार किए जाने का कथन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एंव उपलबद्ध दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन कर अध्ययन किया गया। प्रदर्श–ए1 जमाबंदी सम्वत् 2042, जमाबंदी सम्वत् 2046 से 49 में राजस्व ग्राम अलसीगढ़ की आराजी संख्या 126 से 132 किता 7 रकबा 2.1000 हैक्टेयर भूमि खेमा पिता रूपा भील (खराड़ीवाला) सा. कात्या फला म. देह के गैर खातेदारी दर्ज थी। उन्हीं जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में 418, 438, 444, 447, 448, 451, 452, 454, 455, 1066, 1235, 1239, 1243, 1350, 1351, 1353, 1354, 1356, 1357 किता 19 रकबा 1.5550 हैक्टेयर भूमि खेमा पिता रूपा खराड़ी भील सा. कात्या फला म. देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 में वादग्रस्त आराजीयात संख्या 126 से 132 को अन्य आराजी संख्या 418, 438 वगैरह के साथ सम्मिलित करते हुए खेमा पिता रूपा भील (खराड़ी भील) सा. कात्याफला म. देह के नाम खातेदारी नामान्तकरण संख्या 85 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई। उक्त जमाबंदी का अवलोकन से यह भी जाहिर आता है कि उक्त आराजीयात में लिखे गए खातेदार का नाम कोष्ठक में खराड़ी वाला को काटकर खराड़ी भील किया गया। तत्पश्चात उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के पिता के नाम पर दर्ज रही। खेमा पिता रूपा भील की मृत्यु होने

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर
प्रकरण संख्या 134/2021

से उक्त भूमि उनके वारिसानों प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में नामान्तकरण संख्या 1176 दिनांक 05.03.2019 से दर्ज हुई। वादी द्वारा अपने वादपत्र में यह कथन किया गया कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 15.05.2010 को हुई तथा उसके समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र तथा विरासत नामान्तकरण संख्या 432 निर्णय दिनांक 20.10.10 प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण को बाद तामिल अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिए जाने के बावजूद भी जवाब अथवा अपने पक्ष के प्रतिरक्षण हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा विनम्र अभिमत इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजीयात 126 से 132 को खेमा पिता रूपा खराड़ी वाला के गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने के नामान्तकरण संख्या 85 के आदेश की पालना में उक्त आराजीयात को खेमा पिता रूपा खराड़ी भील के पूर्व से ही खातेदारी में चली आ रही आराजी संख्या 418, 438, 444, 447, 448, 451, 452, 454, 455, 1066, 1235, 1239, 1243, 1350, 1351, 1353, 1354, 1356, 1357 में सम्मिलित करते हुए जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053 में अंकित नाम खेमा पिता रूपा खराड़ी वाला को काटकर खराड़ी भील अंकित कर दिया गया। जो बाद में उनके वारिसानों के नाम विरासत से जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 में दर्ज हुई। वादी द्वारा अपने पिता की विरासत से 20.05.2010 को पारित नामान्तकरण संख्या 432 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम अलसीगढ़ में खेमा पिता फौजा नाम के दो व्यक्ति थे। तथा वादी के पिता की भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करते वक्त प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे वादी के पिता की मृत्यु 15.05.2010 को होने पर उनकी विरासत से उक्त आराजीयात का नामान्तकरण नहीं दर्ज हो पाया तथा प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु हो जाने पर 05.03.2019 को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई थी। जिससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि उक्त आराजीयात वादी के पिता की होकर गैर खातेदारी से खातेदारी में उनके नाम ही दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु उक्त भूमि विपक्षीगण के पिता के नाम दर्ज हो जाने से वादी अपने पिता की आराजी संख्या 126 से 132 को अपने पिता के वारिसानों के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। परन्तु वादी द्वारा अपने दावे के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 432 अनुसार खेमा पिता रूपा के विधिक वारिसान वादी व उसके भाई गणेश के अलावा उसकी अन्य पुत्रियाँ भी है। वादी ने अपने वाद में खेमा पिता रूपा खराडी के समस्त वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया जाकर उक्त

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

आराजीयात के खातेदारी हकों की घोषणा केवल मात्र अपने व अपने भाई के नाम ही चाही गई है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम अलसीगढ़ की आराजी संख्या 126 से 132 किता 7 रकबा 2.1000 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम को विलोपित करते हुए वादी के पिता खेमा पिता रूपा के खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बारापाल को आदेशित किया जाता है कि वह राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम हटाकर वादी के पिता खेमा पिता रूपा फौत हो जाने से उनके विधिक वारिसानों की जॉच कर उनके नाम विरासत का नामान्तकरण पारित करने की कार्यवाही करावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अवुला साई कृष्ण)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा– उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर